न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 11/2021 बउनवानी डॉ0भूपेन्द्र सिंह यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार/प्र.अ.रा
पुत्र शेर सिंह यादव, नि0–34,अल्कापुरी–ए,मुरलीपुरा जयपुर /भू.अभिलेख/विकास/संस्थापन अनुभाग

GCMS No-2021/20

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
02.03.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व/भू.अभिलेख/विकास/संस्थापन अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 9.12.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर के पत्रांक एफ.2(241)आरटीआई/20/3447–3452 दिनांक 16.12.2020 से तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व/भू.अभिलेख/विकास/संस्थापन अनुभाग को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर का कार्यालय पत्रांक प.12/विविध/12/राजस्व/पार्ट–II/2922 दिनांक 31.7.2020 के संबंध में उपजिला कलेटर खण्डार से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट मय संलग्नक तथा इस संबंध में जारी स्मरण पत्र तथा जिला कलेक्टर द्वारा लिये गये निर्णय एवं नोटशीट की प्र0प्रति मय जारी पत्रांक की प्र0प्रति। 2. यह है कि मा0 सम्भागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा जिला कलेक्टर स0मा0 को प्रेषित पत्रांक भू.अ./20/564 दिनाक 26.11.2020 की प्र0प्रति तथा जिला कलेक्टर स0मा0 द्वारा उक्त पत्र दिनांक 26.11.2020 के संबंध में लिये गये निर्णय व जारी पत्र एवं नोटशीट की प्र.प्रति। 3. यह है कि कार्यालय जिला कलेक्टर स0मा0 के पत्रांक प. 14/7/22/तरमीम/भू.अ./रिकार्ड/2020/26.11.20 की प्र0प्रति मय संलग्नक तथा इस पत्र पर तहसीलदार खण्डार द्वारा की गयी कार्यवाही/निर्णय व जारी पत्र/आदेश की प्रति मय संलग्नक की प्र.प्रति। 4. यह है कि तहसीलदार खण्डार का कार्यालय पत्रांक भू.अ./365 दिनांक 8.6.2020 की प्र0प्रति मय सम्भागीय आयुक्त से प्राप्त पत्र की प्र.प्रति तथा उक्त पत्रांक की प्रति मय संलग्नक की प्र0प्रति। 5. यह है कि मा0 जिला कलेक्टर,स0मा0 के कार्यालय पत्रांक विकास/परिवाद/2020/19327 दिनांक 18.8.2020 जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर को जारी शुद्धा से सी ई ओ जिला परिषद से प्राप्त रिपोर्ट मय की गयी कार्यवाही की प्रति मय जारी स्मरण पत्रों की प्र0प्रति। 6. यह है कि श्रीमति राजरानी यादव द्वारा ख0न0 544/1(823/544) ग्राम दौलतपुरा की तरमीम बाबत श्रीमान जिला कलेक्टर स0मा0 को दिनांक 2.12.2020 को प्रस्तुत परिवाद एवं उस परिवाद पर लिये गये निर्णय एवं नोट शीट की प्र0 प्रति तथा उस संबंध में उपजिला कलेक्टर खण्डार से प्राप्त जॉच रिपोर्ट की प्र.प्रति। 7. यह है कि मा0 राजस्व मण्डल अजमेंर के कार्यालय पत्रांक प.11/शिका/राम/भरतपुर सम्भाग/2020/1443 दिनांक 15.6.2020 पर जिला कलेक्टर स0मा0 द्वारा की गयी कार्यवाही, प्राप्त जॉच [illegible] जॉच अधिकारी नियुक्ति पत्र की प्र0प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व/भू.अभिलेख/विकास/संस्थापन अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही [illegible]ये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व/भू.अभिलेख/विकास/संस्थापन अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

छाया प्रति प्रमाणित
कार्यालय अधि... जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.21 17:59:01 IST
Reason: SelfAttested

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक रीडर/सूकाअ/2021/451 दिनांक 11.2.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 09.12.2020 के बिन्दु संख्या 4 की सूचना कुल 86 पृष्ठों की अपीलान्ट को जरिये पत्रांक एल.आर./21/16 दिनांक 5.1.2021 से जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना से संबंधित रिकार्ड/पत्रावली तहसील खण्डार के कार्यालय मे संधारित नही होने के कारण उक्त बिन्दु की सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। बिन्दु संख्या 1 की सूचना कुल 8 पृष्ठों की प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग के पत्रांक/ राजस्व/सूकाअ/20/6826 दिनांक 27.1.2021 द्वारा अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु कोपिस्ट कार्यालय हाजा को भिजवायी थी जो कोपिस्ट के पत्रांक 484 दिनांक 28.1.2021 से अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 2,3 की सूचना हेतु शुल्क जमा करवाने हेतु प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग के पत्राक 19 दिनांक 5.1.2021 से लिखा जा चुका है किन्तु अपीलान्ट द्वारा वांछित शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। बिन्दु संख्या 5 की सूचना कुल 1 पृष्ठ के लिए प्रभारी अधिकारी विकास अनुभाग के पत्रांक सूकाअ/विकास/22312 दिनांक 22.12.2020 से आवेदक को 2/-रू शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा जाने पर अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा कराने के उपरान्त प्रतिलिपि अनुभाग के पत्रांक 521 दिनांक 11.2.2021 से जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक 684 दिनांक 3.2.2021 के अनुसार बिन्दु संख्या 7 की सूचना कुल 40 पृष्ठो के लिए शुल्क जमा कराने हेतु प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग के पत्रांक 7001 दिनांक 31.12.2020 से लिखा गया था लेकिन आवेदन द्वारा प्रतिलिपि शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। चूंकि चाही गयी सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी या शुल्क जमा नही कराने के कारण उपलब्ध नही की गयी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 9.12.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग तथा बिन्दु संख्या 4 की सूचना तहसीलदार खण्डार द्वारा एवं बिन्दु संख्या 5 की सूचना विकास अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है किन्तु बिन्दु संख्या 2,3 की सूचना के लिए शुल्क जमा नही कराने के कारण प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। तथा संथापन अनुभाग से संबंधित बिन्दु संख्या 7 की सूचना के लिए अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही कराने के कारण प्रतिलिपि अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को सूचना नही भिजवायी गयी है। इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 6 की सूचना प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है इसलिए प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 6 की सूचना 15 दिवस मे अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। साथ ही अपीलान्ट को भी निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 2,3 की सूचना वांछित शुल्क जमा करवाकर भू.अभिलेख अनुभाग से तथा बिन्दु संख्या 7 की सूचना वांछित शुल्क जमा करवाकर प्रतिलिपि अनुभाग से प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से कम हो कर बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.21 17:59:01 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

छाया प्रति प्रमाणित
कार्यालय अधिकारी
जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर